

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 JAN 2009

978414



ATTESTED

JAIN
Jocumal Advisor
No. 14, Meerut



खेयनामा का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1- भूमि का प्रकार :- | कृषिभूमि । |
| 2- वार्ड / परगना :- | मेरठ । |
| 3- मौहल्ला / ग्राम :- | लिसाड़ी । |
| 4- सम्पत्ति का विवरण :- | खतरा नम्बर-409 । |
| 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- | 0.3058 हेक्टेयर । |
| 6- सम्पत्ति का प्रकार :- | कृषि भूमि । |
| 7- पेड़ों का मूल्यांकन :- | नहीं । |
| 8- बोरिंग/नलकूप :- | नहीं । |
| 9- प्रतिफल की धराधि :- | 20,00,000/- रुपये। |

समवेत

मेरठ



VLL

अनुरी



12 JAN 2009

12 JAN 2009

ABDUL

राष्ट्रीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR



978412

-3-

हम कि नूर मोहम्मद पितर श्री अल्ला मेहर व यामीन पितर अजीमुल्ला व पुल्क
व चलीम पितरान श्री महमूद व श्रीमती अप्तरी जीजा श्री महमूद व गुलमोहम्मद
व जान मोहम्मद पितरान श्री बाबू खां व श्रीमती मुन्त्याजन पत्नी बाबू खां
इनवासी गण ग्राम लिसाड़ी परगना व तहसील व जिला मेरठ-फरीकअव्दाल पिरेतागण।

मैसर्स सभे बिल्डिंग इण्डिया प्रा० लि० एस० कम्पनी इनकॉर्पोरेटेड अण्डर कम्पनीज
रेजिस्ट-1956 कम्पनी आई.डी.नं०-यू०-45201 यू०पी० 2008 पी०टी०सी०-3641।।
द्वारा मैनेजर श्री अरविन्दर सिंह कलसी पुत्र श्री कुलविन्दर सिंह कलसी निवासी
टी-18-ए विष्णु गार्डन नई दिल्ली-58 ----- फरीक दोयम/प्रेता ।।

जो कि मवाजी 0-3058 बीरो दसमलव तीन बीरो पांच आठ हेक्टेयर गाराजी
पानि कुल हक व हिस्साये फरीकअव्दाल अज सातिलम खतरा नम्बर-409 सातिलम रकबाई
0-3670 हेक्टेयर बीरो दसमलव तीन ए: सात बीरो हेक्टेयर मुतालिफा खाला
नम्बर-00057 पावे ग्राम लिसाड़ी परगना व तहसील व जिला मेरठ मिलिकियत

मोहम्मद रैयान मजिद

गुलमोहम्मद निवासी लिसाड़ी परगना तहसील मेरठ जिला मेरठ

राष्ट्रीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



978411

मजबूत व भूमिपरीत नन्हा फरीकअप्यल है जो फरीकअप्यल का उस्त उत्तरा नम्बर 10/12 हिस्ता है और जो आज की तारीख तक हर तरह केबार व मकायत का नुनी व मिलकियत व दीगर माहिदेनात बय साबिहा व हस्तान्तरण वगैरा से कतई तौर पर बरी व पाक साफ है और फरीकअप्यल ने अपने उस्त हक व हिस्से पर किसी तरकारी व गैर तरकारीके वगैरा से कोइलोन आदि प्राप्त नही कर रखा है । कोई अमर माने नही है लिहाजा साहितम आराजी मजबूराबाला को मय तमामी हक हकूक व मुताल्लिफात हरकिस्म बिना छोड़े हुए किसी भी वजह व हक के मौके पर कतई खाली बहालत सेहत नपस व त्मातेअलत बिलसयज मुबालिम 20,00,000/-बीस लाख रुपये किनस्फ जिस्से मुबालिम 10,00,000/-दस लाख रुपये होते हे वस्त मैत्त सफे बिन्देक [इण्डिया] प्राठ लिठ आरा मैनेजर श्री अरविन्दर सिंह कलती पुत्र श्रीकुलीपिन्दर सिंह कलती निवासी टी-18-ए0 विष्णु गार्डन नई दिल्ली-58 फरीकदोयम को विक्रय कर दी और बेच हासी और

मुफ्तमामर

मेकमोन

1/8

अरवी

मुफ्तमामर

मुफ्तमामर

मुफ्तमामर

अरविन्दर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

978410

-5-

समेस्त विषय मूल्य निम्न प्रकार फरीकअप्यलने फरीकदोयम से वसूल पाकर उक्त भूमि को अपने कब्जे दखल व तहत मिलाइयत से निकालकर कब्जे दखल व तहत मिलाइयत फरीक दोयम के देकर उसको मालिक मुस्तगिल व पार्क कर दिया है अब फरीकअप्यल का कोई तालुक व वास्ता आराजी मजूर से आइन्दा के लिये बाकी नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। कब्जा कर्ह वाली आराजी मजूर का फरीकअप्यल ने फरीक दोयम को आज ही दे दिया है जिसको फरीक दोयम अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने व उपलपमैन्ट करने वगैरा करने के हकदार रहेगे जिसमे फरीकअप्यल को कोई उग्र नहीं होगा। यदि फरीकअप्यलकी इत सम्बन्ध में कही बयान वगैरा देने व रजामन्दी पेश करने की जरूरत पेश होगी तो फरीकअप्यल बयान वगैरा देने व रजामन्दी पेश करने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगे। कोई ऊ, फरीकअप्यल को नहीं होगा। फरीक दोयम को हक होगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण के बाईलानके अनुसार उक्त भूमि को

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

रास्तीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 JAN 2009

978409

-6-

प्रयोग करे व मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दीगर कार्यवाही करे, फरीक
अप्यल को कोई उन्न नहीं होगा। आज से पहला यदि कोई देय व रिक्वरीज कौरा
अगर आराजी मुक्या पर बकाया होमे तो उनके अदा करने की जिम्मेदारी फरीक
अप्यलकी होगी। आज के बाद की जिम्मेदारी फरीक दोयम की रहेगी। तानिउल
हाल अगर अब या आइन्दा कजह दावेदारी फरीक अप्यल के किती स्कीम व शरीक
गारिस या जान्शीन मुस्तहिद व हकदार के या मुस्ते कानूनी व मिलीअयत के कोई
जुज या कुल आराजी मजूर का कच्चे दखल व सहती मिलीअयत फरीक दोयम से निज्त
जायेगा या बयनामा हाजा जुजअन या कुलअन किती अदालत रायजलवस्त तेकारिअ
या मन्सूख करार पा जायेगा तो सेती हर तूरत वाहिद मे फरीक दोयम के वापसी
जरे स्मन मय हजा व खर्चा हरिकस्म मय लागत माबाद मय तूद कानूनी अदा करने
की समस्त जिम्मेदारी फरीक अप्यल की जात खात व जुम्ला जायदाद मन्कूला व

नरमोद प्रसाद

श्री. चामल

M. P.

अन्तरी

12 JAN 2009 0630 PM

1/1/2009

प्रकरण संख्या... 57... पृष्ठ सं... 10...
 कागज का सं... 41... ने दिया गया...
 17/1/2009

आज दिनांक 17/01/2009 को
 वही सं 1 जिल्द सं 4225
 पृष्ठ सं 141 से 168 पर कमांक 380
 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक द्वितीय मेरठ

17/1/2009